CIN : U40109RJ2000SGC016486

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(कार्मिक विभाग)

पंजि.कार्या. : विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर – 302005
फोन व फैक्स नं. : 0141-2747036

क्रमांकः जेपीडी / मुकाअ / उप.नि.का.(मुख्या.) / का.अ.(मं.सं.) / प.F.35(G)6 / प्रे. 1026 जयपुर दिनांकः 23-08-17

आदेश

विषयः– ''विद्युत कर्मचारी कल्याण शिविर'' आयोजन बाबत्।

मंत्रालयिक / तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति, वेतन निर्धारण, एसीपी, अवकाश स्वीकृति, सेवानिवृत्ति लाभ, अधिमान्ता नियुक्ति इत्यादि लम्बित प्रकरणों के तत्काल निष्पादन हेतु सभी वृत कार्यालयो पर कर्मचारी कल्याण शिविर के अन्तर्गत प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को कैम्प का आयोजन किया जाये। इस संबंध में निम्नलिखित कार्ययोजना अपनाई जाये :–

1. वृत स्तर पर "विद्युत कर्मचारी कल्याण शिविर" कैम्प माह सितम्बर, 2017 से प्रारम्भ होगे और प्रत्येक माह व्यवस्थित तरीके से संचालित किये जायेगे।
2. "विद्युत कर्मचारी कल्याण शिविर" कैम्प में निम्नलिखित तीन अधिकारियों की कमेटी समस्याओं का निराकरण करेगी।
   - I. वृत अधीक्षण अभियन्ता – अध्यक्ष
   - II. वृत कार्मिक अधिकारी – सदस्य सचिव
   - III. वृत लेखाधिकारी – सदस्य
3. सदस्य सचिव–वृत कार्मिक अधिकारी द्वारा कैम्प में उपस्थित हुए कर्मचारियों से प्राप्त लिखित शिकायत / समस्या रजिस्टर में पंजीकृत की जावेगी एव समाधान यथा संभव मौके पर ही किया जाए।
4. शिविर के दिन यदि समस्या का समाधान नहीं हो पाये तो ऐसे प्रकरणों में 07 दिवस में समस्या का समाधान आवश्यक रूप से किया जाए।
5. शिविर में प्राप्त शिकायत एवं निस्तारण की सूचना अगले माह की 05 तारिख को विस्तृत टिप्पणी के साथ वृत कार्मिक अधिकारी द्वारा मुख्य कार्मिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जावे।
6. जिन वृत कार्मिक अधिकारियो के पास अतिरिक्त वृत का कार्यभार है तो अतिरिक्त कार्यभार वाले वृत में "विद्युत कर्मचारी कल्याण शिविर" माह के तीसरे सोमवार को आयोजित होगा। इसके अलग से आदेश संबंधित वृत अधीक्षण अभियन्ता कार्मिक अधिकारी से राय कर जारी करेगा।

अतः सभी संबंधितों को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने–अपने वृत के अधीन उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर. जी. गुप्ता)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव (प्रशासन), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।
2. मुख्य / संभागीय / उप मुख्य अभियंता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
3. मुख्य लेखाधिकारी / वरि.लेखाधिकारी / लेखाधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
4. अधीक्षण अभियंता (आई.टी.), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर को निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु।
5. अधीक्षण / अधिशाषी / सहायक अभियंता ( ), जयपुर डिस्कॉम,
6. उप निदेशक कार्मिक / कार्मिक अधिकारी ( ), जयपुर डिस्कॉम,
7. उप सचिव / सहायक सचिव, ( ), जयपुर डिस्कॉम,
8. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर,
9. निजी सहायक– अध्यक्ष डिस्कॉम्स / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक (वित्त) / निदेशक (तकनीकी), जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(राकेश शर्मा)
मुख्य कार्मिक अधिकारी

CPO:D:\Uday office work\uday computer 1\karmchari kalyan abhiyan.docx